



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
ए.डी.आर. सेन्टर, जिला न्यायालय परिसर, भरतपुर
फोन/ई-मेल- 05844-228870/dlsa6bhartpur@gmail.com

क्रमांक: एलएडीसीएस/स्था0/विज्ञप्ति/2028/03

दिनांक: 20-04-26

-:: विज्ञप्ति ::-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्र क्रमांक: एफ-16(123)/रालसा/जेएस/एलएडीसी/2026/7221-7257 दिनांक 24.03.2026 एवं संदर्भित पत्र क्रमांक 8818 दिनांक 29.07.2024 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर के अधीनस्थ कार्यालय Legal Aid Defence Counsel, Bharatpur हेतु निम्न पूर्णतया अस्थायी संविदा पदों हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 17(10)डीओपी/ए-2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	देय मानदेय/पारिश्रमिक
1	ऑफिस असिस्टेंट	03	19,000/-
2	रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	16,000/-
3	ऑफिस पियोन	03	11,000/-
कुल योग		07	

शर्त :-

- उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप सारणी में अंकित समेकित पारिश्रमिक राशि देय होगी।
- उपरोक्त पद पूर्णतया अस्थायी रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अनुबन्ध के आधार पर होंगे।
- समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की पुनर्नियुक्ति किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यक्षीन होगी।
- कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 25.04.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जरिये डाक/ई-मेल dlsa6bhartpur@gmail.com पर अथवा व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

- अंतिम भुगतान प्रमाण-पत्र (एल.पी.सी.) की स्वप्रमाणित प्रति।
- संलग्न प्रारूप में विभागाध्यक्ष द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र।
- सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण पत्र।

सचिव
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
भरतपुर (राज.)

क्रमांक: एलएडीसीएस/स्था0/विज्ञप्ति/2026/4715-4728 दिनांक: 20/04/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

- पीठासीन अधिकारी, समस्त न्यायालय, भरतपुर न्यायक्षेत्र, भरतपुर।
- सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
- जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर/डीग।
- अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, बयाना/वैर/रूपवास/नदबई।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, भरतपुर।
- जिला रोजगार कार्यालय, भरतपुर।
- सूचना पट्ट कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायालय/जिला कलक्टर, भरतपुर
- सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय भरतपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

सचिव 20/04/2026
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
भरतपुर



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
ए.डी.आर. सेंटर, जिला न्यायालय परिसर, मरतपुर
फोन/ई-मेल- 05844-228870/dls36bhartpur@gmail.com

राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिये आवेदन-पत्र
(ऑफिस असिस्टेंट/रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ऑफिस पियोन)

- 1- कर्मचारी का नाम :
- 2- पिता/पति का नाम :
- 3- सेवा का नाम, जिससे संबंधित है :
- 4- जन्म तिथि :
- 5- पूर्ण पता :
- 6- आयु (दिनांक 30.06.26 को) : वर्ष माह दिन
- 7- अर्हताएं :
- 8- मूल विभाग का नाम :
- 9- धारित पद :
- 10- अनुभव :
- 11- मूल वेतन :
- (रनिंग पे ब्रेण्ड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है)
- 12- विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :

विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 12 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी..... जो पद पर विभाग में कार्य कर रहा है, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा है और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती मासिक मूल वेतन (रनिंग पे ब्रेण्ड वेतन+ग्रेड पे) आहरित कर रहा है/कर रही है और कि श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इसकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिकी की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

क्रमांक:

दिनांक:

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील